



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19242 वर्ष 2025

विन्धेश्वरी प्रसाद पटेल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अरविन्द कुमार सिंह, विशाल टंडन

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कुशमोदेया शाही

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विशाल टंडन तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कुशमोदेया शाही को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में रिट-ए संख्या 2600 वर्ष 2023 प्रस्तुत कर इस न्यायालय का अवलम्बन किया गया था, जिसका निर्णय दिनांक 12.05.2025 को किया गया, जिसका आदेश निम्नवत उद्धृत है:-

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विशाल टंडन तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री यतीन्द्र को सुना गया।

2. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.2024 को निम्न आदेश पारित किया गया था:

"इस प्रकरण में दिनांक 13.02.2023 को अंतरिम परमादेश जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा दिनांक 13.03.2023 को प्रत्युत्तर शपथपत्र तथा वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा भी दिनांक 13.03.2023 को एक अन्य प्रत्युत्तर शपथपत्र प्रस्तुत किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रत्यर्थिगण का कथन यह है कि याचिकाकर्ता दिनांक 31.08.2022 को सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के कार्यालय में आशुलिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुआ।

सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर शपथपत्र के अनुच्छेद 6 में यह कहा गया है कि प्रत्यर्थियों द्वारा दिनांक 11.03.2022, 11.07.2022 तथा 10.08.2022 के पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया गया कि वह अपने पास लंबित अभिलेखों का प्रभार अन्य सहायक कर्मचारियों को हस्तांतरित करें, किन्तु याचिकाकर्ता द्वारा अपने मेज से संबंधित उन अभिलेखों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई जिनका निस्तारण वह कर रहा था, जिसके अभाव में प्रभार अन्य कर्मचारी को हस्तांतरित नहीं किया जा सका।

संक्षेप में, प्रत्यर्थियों का कथन यह है कि जब तक याचिकाकर्ता अपने पास उपलब्ध अभिलेखों का प्रभार हस्तांतरित नहीं करेगा, तब तक उसके सेवानिवृत्ति उपरांत देय लाभों का भुगतान नहीं किया जाएगा।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का कहना है कि यह एक सार्वजनिक कार्यालय है तथा उसके मेज पर उपलब्ध अभिलेख किसी ताले-चाबी में सुरक्षित नहीं थे, अपितु विगत दो वर्षों में विभिन्न कर्मियों द्वारा उनका उपयोग किया जाता रहा है।'

याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 2-सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के कार्यालय में परसों प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर वह समस्त प्रभार हस्तांतरित करेगा, जिसकी अपेक्षा प्रत्यर्थियों द्वारा की जा रही है।

यह भी इस चरण पर उल्लेखनीय है कि विगत दो वर्षों के उपरांत उन अभिलेखों का सटीक मिलान करना, जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा पदत्याग के समय सुपुर्द किया गया था, वर्तमान स्थिति में, जब सार्वजनिक कार्यालय के समस्त अभिलेख विभिन्न कर्मियों द्वारा देखे जा रहे हैं, अत्यंत कठिन है। ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि याचिकाकर्ता प्रभार का हस्तांतरण पूर्णतः अभिलेखीय मानकों के अनुरूप करे, अव्यावहारिक प्रतीत होता है। याचिकाकर्ता के पास जो भी अभिलेख उपलब्ध हैं अथवा उसके ज्ञान में हैं, उन्हें सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा युक्तिसंगत रूप से स्वीकार किया जाएगा।

इस बीच, प्रभार हस्तांतरण के प्रश्न से स्वतंत्र रूप से, अंतरिम परमादेश को फिलहाल इस सीमा तक अंतिम रूप दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से वर्तमान अस्थायी पेंशन का अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भुगतान किया जाए तथा उसे नियमित रूप से प्रतिमाह प्रदान किया जाए। अन्य पेंशन संबंधी लाभों के संबंध में आगे आदेश अंतरिम आवेदन पर पारित किए जाएंगे।

आवेदन को आगे के आदेशों हेतु दिनांक 20.08.2024 को सूचीबद्ध किया जाए।

इस आदेश की सूचना आज ही निबंधक (अनुपालन) द्वारा सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), इलाहाबाद के माध्यम से सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज को प्रेषित की जाए।"

3. उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में, न्यायालय में उपस्थित याचिकाकर्ता का कथन है कि उसने सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यालय में लिपिक को अनेक अभिलेख सुपुर्द कर दिए हैं, जिनकी सूची दिनांक 20.08.2024 को दाखिल अनुपूरक शपथपत्र में उल्लिखित है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता आवश्यक होने पर संबंधित प्रत्यर्थी के कार्यालय में उपस्थित होने एवं सहयोग करने के लिए तैयार है, किन्तु उसे यह आशंका है कि प्रभार हस्तांतरण के बहाने उसे अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

5. यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता दिनांक 31.08.2022 को सेवानिवृत्त हुआ तथा उसके निर्देशानुसार समस्त अभिलेख संबंधित प्रत्यर्थी के कार्यालय में सुपुर्द किए जा चुके हैं और वहीं उपलब्ध हैं तथा उसके पास कोई अभिलेख शेष नहीं है। सेवानिवृत्ति के उपरांत उसे कार्यालय में प्रवेश का अधिकार भी नहीं है, अतः यदि कोई अभिलेख अनुपलब्ध है तो उसके लिए याचिकाकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

6. प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री यतीन्द्र द्वारा दिनांक 16.08.2024 के एक पत्र का संदर्भ दिया गया, जो अनुपूरक शपथपत्र के साथ संलग्न है, जिसमें यह उल्लेख है कि याचिकाकर्ता दिनांक 14.08.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में उपस्थित हुआ था तथा 1225 अभिलेखों में से केवल 46 अभिलेखों का ही मिलान हो सका, जबकि कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए, जिसका प्रासंगिक अंश निम्नवत है:-

""माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश केक्रम में आप दिनांक 14.08.2024 को प्रातः 11 बजे से सायं 7.00 बजे तक आप परिषद कार्यालय में उपस्थित होकर 1225 के सापेक्ष मात्र 46 पत्रावलियों का मिलान कराया गया है। उल्लेखनीय है कि परिषद कार्यालय के पत्रांक बे०शि०प० /19615-17/2023-24 दिनांक 18.07.2023 द्वारा अनुरोध किया गया है कि परिषद कार्यालय के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पत्र दिनांक 04.12.1997, दिनांक 14.07.2003, दिनांक 17.05.2005, दिनांक 17.10.2006, दिनांक 21.08.2009, दिनांक 24.06.2014, दिनांक 21.03.2016, दिनांक 31.07.2017, दिनांक 17.10.2018, दिनांक 18.09.2019 द्वारा कार्यआवंटन की कार्यवाही की गयी है।

उक्त कार्य आवंटन में आप द्वारा कौन-कौन सी पत्रावलियां आप द्वारा अन्य सहायक से प्राप्त की गयी तथा आपको क्या-क्या चार्ज प्राप्त हुआ तथा आप द्वारा कौन सा चार्ज अन्य सहायक को दिया गया है, से सम्बन्धित पत्रावलियों नहीं प्राप्त करायी गयी है।

कृपया वर्ष 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 की पत्र प्रेषण पंजिका के उपरोक्त पत्र तथा अन्य वर्षवार पत्र से सम्बन्धित पत्रावली एवं पत्र दिनांक 24.08.2024 तक किसी भी कार्यदिवस में उपलब्ध करानेका कष्ट करें। जिस से आपका अदेय प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके।"

7. न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से यह विशिष्ट प्रश्न किया गया कि क्या याचिकाकर्ता अभी भी सहयोग करते हुए संबंधित विभाग के किसी उत्तरदायी अधिकारी के साथ बैठकर तथ्यों के आधार पर अभिलेखों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि न्यायालय प्रभार हस्तांतरण के विषय में अधिक गहराई से विचार नहीं कर सकता।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ अभिलेख गोपनीय भी थे।

9. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आधार पर याचिकाकर्ता को अस्थायी पेंशन प्रदान की जा रही है।

10. इस चरण पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता द्वारा संदर्भित पत्र के पश्चात एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसे कारणयुक्त आदेश द्वारा निर्णयित किया जाए।

11. उपर्युक्त प्रार्थना अस्वीकृत की जाती है, क्योंकि इससे एक नए प्रकरण का सृजन होगा।

12. उपर्युक्त परिस्थितियों में, यह दृष्टिगत रखते हुए कि यह ऐसा प्रकरण है जिसमें याचिकाकर्ता अपने सेवानिवृत्ति उपरांत देय लाभों की मांग कर रहा है, जी.पी.एफ. की राशि के भुगतान को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



छोड़कर, जिसका 90 प्रतिशत तक भुगतान किया जा चुका है, तथा याचिकाकर्ता विगत दो वर्षों से अधिक समय से इस न्यायालय के समक्ष है और दिनांक 31.08.2022 को सेवानिवृत्त हो चुका है।

13. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में यह भी अभिलिखित किया गया है कि कुछ अभिलेखों का भौतिक सत्यापन संभव नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने कार्यालय तक पहुंच नहीं है, तथापि यह आवश्यक है कि अभिलेखों का समुचित प्रभार हस्तांतरण हो, जिससे नव नियुक्त अधिकारी को भौतिक अभिलेखों की संख्या की जानकारी हो सके।

14. इस चरण पर याचिकाकर्ता अपने अधिवक्ता को सूचित करता है कि वह दिनांक 15.05.2025 को संबंधित प्रत्यर्थी के कार्यालय में उपस्थित होगा, जहां अभिलेखों का एक चार्ट तथा सत्यापन की स्थिति प्रस्तुत की जाएगी। उक्त चार्ट में 'याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर' शीर्षक के अंतर्गत एक स्तंभ रिक्त छोड़ा जाएगा तथा याचिकाकर्ता को अपने ज्ञान के आधार पर उक्त स्तंभ को भरने की स्वतंत्रता होगी। संबंधित प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता को पूर्ण पेंशन तथा सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ प्रदान करने के संबंध में निर्देश पारित किए जाएंगे तथा यदि कोई अन्य विधिक बाधा हो तो उसका संक्षिप्त समय में याचिकाकर्ता को अवगत कराया जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक बनाम नवीन कुमार सिन्हा, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3369 में पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए।

15. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, यह याचिका निस्तारित की जाती है।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार दिनांक 10.10.2025 को कुल रुपये 43,38,890/- का भुगतान किया गया है, तथापि सामान्य भविष्य निधि के 10 प्रतिशत भाग का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है तथा ब्याज एवं अवकाश नकदीकरण का भुगतान भी नहीं किया गया है।

4. प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कुशमोंदेया शाही ने निवेदन किया कि जहाँ तक सामान्य भविष्य निधि के 10 प्रतिशत का संबंध है, उसे दिनांक 08.01.2026 को स्वीकृत कर दिया गया है।

5. बार के समक्ष प्रस्तुत निवेदनों को सुनने के उपरांत, शेष भुगतान के संबंध में, जिसे याचिकाकर्ता विधि अनुसार देय बताते हुए प्राप्त करना चाहता है, याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष दिनांक 30.01.2026 तक एक समग्र प्रत्यावेदन, याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति सहित प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 2 उक्त प्रस्तुति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्राप्त होने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

19 जनवरी, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।